भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-688
दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ
राष्ट्रीय विद्युत योजना

688. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय विद्युत योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2032 तक कितनी ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस संबंध में विद्युत क्षेत्र की क्या भूमिका है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) में प्रावधान है कि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा तथा ऐसी योजना को पांच वर्ष में एक बार अधिसूचित करेगा।

2. राष्ट्रीय विद्युत योजना पांच वर्ष की अल्पावधि रूपरेखा है, जो 15 वर्ष का परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. विभिन्न क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घावधि मांग पूर्वानुमान;

ख. उत्पादन तथा पारेषण की मितव्ययिता, प्रणाली में हानि, भार-केंद्र आवश्यकताएं, ग्रिड स्थिरता, आपूर्ति की सुरक्षा, वोल्टेज प्रोफाइल आदि सहित विद्युत की गुणवत्ता आदि तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित पर्यावरणीय विचारों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन तथा पारेषण में क्षमता वृद्धि के लिए सुझाए गए क्षेत्र/स्थान;

ग. ऐसे संभावित स्थानों का पारेषण प्रणाली के साथ एकीकरण तथा पारेषण प्रणालियों के प्रकार तथा अतिरेक की आवश्यकता सहित राष्ट्रीय ग्रिड का विकास;

घ. दक्ष उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियां; और

ङ. अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरणीय विचारों के आधार पर ईंधन का विकल्प।

3. राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करते समय, सीईए राज्य सरकारों और मांग पूर्वानुमान के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करता है।

4. सीईए समय-समय पर विभिन्न समय अवधि के लिए विस्तृत और परिप्रेक्ष्य योजनाओं को शामिल करते हुए एनईपी तैयार करता रहा है। सीईए द्वारा तैयार की गई चौथी राष्ट्रीय विद्युत योजना में वर्ष 2017-22 की अवधि की समीक्षा, वर्ष 2022-27 के दौरान विस्तृत क्षमता वृद्धि की आवश्यकता और वर्ष 2027-32 के लिए परिप्रेक्ष्य योजना अनुमान शामिल हैं।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड I: उत्पादन) के अनुसार, देश की 366.4 गीगावाट की अनुमानित व्यस्ततम मांग और 2473.8 बीयू (20वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार) की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष 2031-32 के लिए संस्थापित क्षमता 900,422 मेगावाट होने की संभावना है, जिसमें 304,147 मेगावाट पारंपरिक क्षमता (कोयला-259,643 मेगावाट, गैस-24,824 मेगावाट, परमाणु-19,680 मेगावाट) और 596,275 मेगावाट नवीकरणीय आधारित क्षमता (वृहद जलविद्युत-62,178 मेगावाट, सौर-364,566 मेगावाट, पवन-121,895 मेगावाट, लघु जलविद्युत-5450 मेगावाट, बायोमास-15,500 मेगावाट, पीएसपी-26,686 मेगावाट; 5856 मेगावाट संभावित जल विद्युत आधारित आयात को छोड़कर) के साथ 47,244 मेगावाट/236,220 मेगावाट घंटा की बीईएसएस क्षमता शामिल है।

2. उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार समयबद्ध तरीके से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठा रही है।

****